न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/79/25	2025/166	05.02.2025	30.10.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. सीताराम पुत्र मूला जाति गुर्जर निवासी खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

परिस्थितः—

—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

— अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

तहसीलदार अलवर, ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर की हाल आराजी खसरा न0 579/611 रकबा 0.25 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामली अनुपस्थित। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अप्रार्थी सीताराम पुत्र मूला जाति गुर्जर निवासी खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 के नाम ग्राम खेडाकल्याणपुर खसरा नंबर हाल 579/611 रकबा 0.25 है0 भूमि कृषि हेतु आवंटन की गयी। जिसका नामान्तकरण संख्या 219 दिनांक 16.03.1992 को गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हो गया।

ग्राम खेडाकल्याणपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 579/611 रकबा 0.25 है0 अप्रार्थी के नाम आवंटित हुई थी, जो कि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074—77 में लगातार खाता संख्या 183 पर गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। आवंटी द्वारा आवंटन से प्रथम दो वर्ष में संपूर्ण रकबे पर काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वर्ष 1975 में जो आवंटन अप्रार्थी को हाल आराजी खसरा नंबर 579/611 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम खेडाकल्याणपुर का किया गया, को निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित रहा है, अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज। उपखण्ड अधिकारी के आदेश द्वारा जारी आवंटन आदेश से अप्रार्थी (गैर—खातेदार) सीताराम पुत्र मूला जाति गुर्जर निवासी खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर को हाल आराजी खसरा नंबर 579/611 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम खेडाकल्याणपुर भूमि का आवंटन किया गया था। पटवारी हल्का खेडाकल्याणपुर की रिपोर्ट दिनांक 18.11.2024 के अनुसार उक्त आराजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

मुताबिक हाल जमाबंदी अनुसार ग्राम बाढ केसरपुर के हाल आराजी खसरा नंबर 579/611 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम खेडाकल्याणपुर अप्रार्थी सीताराम पुत्र मूला जाति गुर्जर निवासी खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। गैर खातेदार के नाम उक्त भूमि वर्ष 1992 में आवंटन के द्वारा दर्ज हुई जिसका गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 219 दिनांक 16.03.1992 को स्वीकार हुआ। उक्त आवंटित भूमि आवंटी द्वारा काश्त नहीं की गई, जिससे आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा साबित नहीं होता है। मौके पर अप्रार्थी गैर–खातेदार का कब्जा नहीं है। आवंटी (सीताराम) गैर खातेदार (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 स्वीकार करने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी (गैर–खातेदार) सीताराम पुत्र मूला जाति गुर्जर निवासी खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर को हाल आराजी खसरा नंबर 579/611 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम खेडाकल्याणपुर भूमि का किया गया आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)